

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 773]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2014/चैत्र 6, 1936

No. 773]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2014/CHAITRA 6, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014

का.आ. 903(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 197.900 कि.मी. से 258.800 कि.मी. तक के भूखण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/दो लेन, चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है ;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप-खण्ड अधिकारी, गुढामलानी, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भूरेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 197.900 कि.मी. से 258.800 कि.मी. तक (बाड़मेर से साँचौर खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक/तहसील का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(1) बाड़मेर	(2) धोरीमना	(1) अजाणियो की ढाणी	469/3	निजी	बारानी सोयम	0.2522
				कुल एरिया			0.2522
			(2) खरड	462	निजी	बारानी सोयम	0.0376
				कुल एरिया			0.0376
			(3) धोरीमना	478	निजी	बारानी दोयम	0.0332
				476/4	सरकारी	गै. मु. सडक	0.0656
				476/2	निजी	बारानी दोयम	0.0087
				475	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0095
				433	निजी	बारानी सोयम	0.0052
				433/2	निजी	बारानी सोयम	0.0233
				476	निजी	बारानी दोयम	0.0354
				477	निजी	बारानी दोयम	0.0255
				432	सरकारी	गै. मु. आबादी	0.1614
				कुल एरिया			0.3678
			(4) बोर चारणान	149/2	निजी	बारानी दोयम	0.3053
				192	निजी	बारानी दोयम	0.4447
				159/4	निजी	बारानी दोयम	0.3522
				187/2	निजी	बारानी दोयम	0.4891
				कुल एरिया			1.5913
		(3) गुढामलानी	(1) रामजी का गोल फांटा	893/2/1	निजी	बारानी सोयम	0.0576
				893/2/2	निजी	बारानी सोयम	0.0776
				893/4	सरकारी	गै. मु. सडक	0.0026
				कुल एरिया			0.1379
			(2) रामजी का गोल	43/2	निजी	बारानी सोयम	0.1295
				कुल एरिया			0.1295
			(3) तेजियावास	76	निजी	बारानी दोयम	0.3091
				133/78	निजी	बारानी दोयम	0.0487
				131/78	निजी	बारानी दोयम	0.2525
				129/80	निजी	बारानी दोयम	0.1933
				कुल एरिया			0.8036
			(4) बेरीगांव	131	सरकारी	गै. मु. आगोर	0.0142
				162	निजी	बारानी सोयम	0.0228

				164	निजी	बारानी सोयम	0.0316
				174	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0027
				14	निजी	बारानी सोयम	0.0167
				13	निजी	बारानी सोयम	0.0015
				कुल एरिया			0.0895
			(5) गाधंव खुर्द	325/48	निजी	बारानी दोयम	0.0020
				318/47	निजी	बारानी दोयम	0.1147
				310/55	निजी	चाही चारम	0.0877
				308/55	सरकारी	गै. मु. सडक	0.0388
				कुल एरिया			0.2432
			(6) गोदारो की ढाणी	127/2	निजी	बारानी दोयम	0.2947
				129	निजी	बारानी दोयम	0.1531
				128/2	निजी	बारानी दोयम	0.1415
				कुल एरिया			0.5894
			(7) गाधंव कलां	291	निजी	बारानी सोयम	0.1021
				290/2	सरकारी	गै. मु. गाईड	0.2426
				290/3	सरकारी	गै. मु. गाईड	0.0250
				284	निजी	बारानी दोयम	0.0421
				284/3	निजी	बारानी दोयम	0.0420
				287	निजी	बारानी दोयम	0.2543
				288	निजी	रेल अव्वल	0.0816
				235/2	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0029
				234	निजी	रेल अव्वल	0.0483
				233/2	निजी	रेल अव्वल	0.0627
				232	निजी	रेल अव्वल	0.1764
				231	निजी	बारानी दोयम	0.0219
				230	सरकारी	गै. मु. गोचर	0.0764
				170	निजी	बारानी दोयम	0.2782
				169	निजी	बारानी दोयम	0.1188
				184	निजी	चाही चारम	0.1675
				162/2	सरकारी	गै. मु. रास्ता	0.0080
				149	निजी	चाही चारम	0.1320
				310/144	निजी	बारानी दोयम	0.0655
				311/144	निजी	गै. मु. व्यवसायिक	0.0170
				312/144	निजी	गै. मु. व्यवसायिक	0.0030
				146/1	निजी	बारानी दोयम	0.0053
				314/144	निजी	बारानी दोयम	0.0010
				144/1	सरकारी	गै. मु. आबादी	0.0055
				कुल एरिया			1.9802
				कुल योग			6.2221

[फा. सं. भाराराप्रा/11002/1/2013/बा.सा./बाडमेर/भू.अ.]
माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2014

S.O. 903(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two-laning, four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.15 in the stretch of land from km. 197.900 to km. 258.800 District Barmer in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land ;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of Section 3C of the said Act ;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub-Divisional Officer, Gudhamalani in writing, and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections ;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 3C of the said Act shall be final ;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from km. 197.900 to km. 258.800 (Barmer - Sanchor section) of the National Highway No. 15 in the State of Rajasthan.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk / tehsil	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1)	(1) Barmer	(2) Dhorimana	(1) Aajaniyon Ki Dhani	469/3	Private	Barani Soyam	0.2522
				Total Area			0.2522
			(2) Kharad	462	Private	Barani Soyam	0.0376
				Total Area			0.0376
			(3) Dhorimana	478	Private	Barani Doyam	0.0332
				476/4	Government	G.M. Sadak	0.0656
				476/2	Private	Barani Doyam	0.0087
				475	Government	G.M. Rasta	0.0095
				433	Private	Barani Soyam	0.0052
				433/2	Private	Barani Soyam	0.0233
				476	Private	Barani Doyam	0.0354
				477	Private	Barani Doyam	0.0255
				432	Government	G.M. Aabadi	0.1614
				Total Area			0.3678
			(4) Bor Charnan	149/2	Private	Barani Doyam	0.3053
				192	Private	Barani Doyam	0.4447
				159/4	Private	Barani Doyam	0.3522
				187/2	Private	Barani Doyam	0.4891
				Total Area			1.5913
		(3) Gudhamalani	(1) Ramji ka Gol Fanta	893/2/1	Private	Barani Soyam	0.0576
				893/2/2	Private	Barani Soyam	0.0776
				893/4	Government	G.M. Sadak	0.0026
				Total Area			0.1379

			(2) Ramji ka Gol	43/2	Private	Barani Soyam	0.1295
				Total Area			0.1295
			(3) Tejyavas	76	Private	Barani Doyam	0.3091
				133/78	Private	Barani Doyam	0.0487
				131/78	Private	Barani Doyam	0.2525
				129/80	Private	Barani Doyam	0.1933
				Total Area			0.8036
			(4) Berigaon	131	Government	G.M. Aagore	0.0142
				162	Private	Barani Soyam	0.0228
				164	Private	Barani Soyam	0.0316
				174	Government	G.M. Rasta	0.0027
				14	Private	Barani Soyam	0.0167
				13	Private	Barani Soyam	0.0015
				Total Area			0.0895
			(5) Gandhav Khurd	325/48	Private	Barani Doyam	0.0020
				318/47	Private	Barani Doyam	0.1147
				310/55	Private	Chahi Charam	0.0877
				308/55	Government	G.M. Sadak	0.0388
				Total Area			0.2432
			(6) Goderon ki Dhani	127/2	Private	Barani Doyam	0.2947
				129	Private	Barani Doyam	0.1531
				128/2	Private	Barani Doyam	0.1415
				Total Area			0.5894
			(7) Gandhav Kalan	291	Private	Barani Soyam	0.1021
				290/2	Government	G.M. Guide	0.2426
				290/3	Government	G.M. Guide	0.0250
				284	Private	Barani Doyam	0.0421
				284/3	Private	Barani Doyam	0.0420
				287	Private	Barani Doyam	0.2543
				288	Private	Rail Avval	0.0816
				235/2	Government	G.M. Rasta	0.0029
				234	Private	Rail Avval	0.0483
				233/2	Private	Rail Avval	0.0627
				232	Private	Rail Avval	0.1764
				231	Private	Barani Doyam	0.0219
				230	Government	G.M. Goacher	0.0764
				170	Private	Barani Doyam	0.2782
				169	Private	Barani Doyam	0.1188
				184	Private	Chahi Charam	0.1675
				162/2	Government	G.M. Rasta	0.0080
				149	Private	Chahi Charam	0.1320
				310/144	Private	Barani Doyam	0.0655
				311/144	Private	G.M. Commercial	0.0170
				312/144	Private	G.M. Commercial	0.0030
				146/1	Private	Barani Doyam	0.0053
				314/144	Private	Barani Doyam	0.0010
				144/1	Private	G.M. Aabadi	0.0055
				Total Area			1.9802
Grand Total							6.2221

[F. No. NHAI/11002/1/2013/BSG/Barmer/LA]

MAYA PRAKASH, Director